I/176309/2023

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–17639/ix-1/2023-176/ix-1/2007
देहरादूनः दिनांक दिसम्बर, 2023

अधिसूचना संख्या–17.62.93.../ix-1/2023-176/ix-1/2007, दिनांक 19....... दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (संशोधन) नियमावली, 2023 की हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ परिवहन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 19-12-2023 14:32:54

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

I/176293/2023

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या/76293/IX–1/2023–176/2007
दिनांक 19 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) की धारा 90 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1.**	**(1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
		(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।
नियम 2 में संशोधन	**2.**	उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् – (घ) "आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक" से मैदान में बनाई गयी ऐसी आकृति अभिप्रेत है, जिस पर सिविल कार्य के साथ–साथ सीसीटीवी, सेन्सर्स, इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के माध्यम से आटोमेशन किया गया हो और जिस पर दुपहिया वाहन अथवा हल्के मोटरयान का वाहन चालन परीक्षण सुगमता से किया जा सके। **स्पष्टीकरण**–आकृतियों का निर्धारण किसी कार्यालय विशेष में उपलब्ध स्थान के आधार पर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।
नियम 3 में संशोधन	**3.**	मूल नियमावली के नियम 3 के परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात– **परन्तु यह और कि किसी कार्यालय में "आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक" पर वाहन चालन परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था उपलब्ध होने पर उक्त कार्यालय में चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले आवेदकों से उपरोक्त यूजर चार्ज के अतिरिक्त वाहन चालन परीक्षा हेतु रूपये 100.00 यूजर चार्ज पृथक से देय होगा।**

नियम 5 में संशोधन	**4.**	मूल नियमावली में नियम 5 में खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् – (ग–क)"आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक" का आटोमेशन कराना, संचालन हेतु सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करना, ट्रैक का रख–रखाव करना एवं चालकों की परीक्षा हेतु समुचित कार्य करना और इस हेतु आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की व्यवस्था करना,
		(ख) खण्ड 'ङ' में– (i) "राष्ट्रीयकृत बैंक" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचित बैंक" शब्द रख दिये जायेंगे। (ii) परन्तुक में "चैक पोस्ट पर" शब्दों के स्थान पर "सचल प्रवर्त्तन दल के कार्यालय में" शब्द रख दिये जायेंगे।
नियम 7 में संशोधन	**5.**	मूल नियमावली में नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ध) के उपरान्त निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् – (न) आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक हेतु सेन्सर, मोबाईल फोन, सीसीटीवी, सॉफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण।

Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 19-12-2023 14:15:47

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव।

I/176308/2023 In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no.176293 /ix-1/2023 Dehradun: Dated 19 December, 2023 for general information.

Government of Uttrakhand
Transport Section-1
No176293/IX-1/2023-176/2007
Date 19 December, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) and (2) of section 90 read with sub-section (1) and (2) of section 6 of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000) with a view to further amend the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules, 2011 the Governor is pleased to make the following rules:-

The Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (Amendment) Rules, 2023

Short title and commencement	**1.**	**(1)** These rules may be called the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (Amendment) Rules, 2023 **(2)** shall come into force at once.
Amendment of Rule 2	**2.**	In the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department Rules, 2011 (here in after referred to as the principal rules) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely- (d) "automated driving test track" means a field structure on which automation has been done through CCTV, sensors, electronic devices, etc., along with civil work, and on which motor vechicle driving of two wheelers or light vehicles can be done easily. **Explanation-**The figures will be determined by the Transport Commissioner, Uttarakhand from time to time on the basis of available space in the particular office.
Amendment of Rule 3	**3.**	In rule 3 of the principal rules, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely- Provided that in case of arrangement for conducting the driving test on "Automated Driving Test Track" in any office, In addition to the above user charge of Rs 100.00 will be payable separately for the vehicle driving test from the applicants coming to the said office to obtain the driver's license.

Amendment of Rule 5	**4.**	After clause (c) in rule 5 of the principal rules after clause (c) the following clause shall be inserted, namely- (c-a) Getting automation of "Automated Driving Test Track", arranging software for operation, maintaining track and taking appropriate action for examination of drivers and for this arranging personnel through outsource,
		(b) In clause (e)- (i) For the words "nationalized bank", the words "scheduled bank" shall be substituted. (ii) In the proviso, for the words "check post", the word **"Dynamic Task force"** shall be inserted.
Amendment of Rule 7	**5.**	In the principal rules, after the clause (s) of sub-rule (1) of rule 7, the following clause shall be inserted, namely- (t) Purchase and maintenance of sensors, mobile phones, CCTV, software and other necessary equipment for Automated Driving Test Track.

By order,

Signed by Arvind Singh
Hyanki
Date: 19-12-2023 14:31:27

(Arvind Singh Hyanki)

Secretary.